

## एक नजर में

तमिलनाडु चुनाव प्रचार पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री

**भोपाल.** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 अप्रैल को तमिलनाडु में एक दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव तमिलनाडु की रासipurम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 1.00 बजे भोपाल से कोयंबटूर के रासipurम विधानसभा पहुंचेंगे. दोपहर 01.20 बजे रासipurम विधानसभा में बैठक लेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव सायं 4.30 बजे अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉ. एल. मुरुगन के समर्थन में प्रचार करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोयंबटूर से सायं 6.15 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे.

## अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

**शिवपुरी.** जिले के देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने हवाई पट्टी के पास से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान फैजल खान (19) के रूप में हुई है. उसके पास से एक अवैध देशी रिवाल्वर और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. देहात थाना पुलिस रात्रि गश्त पर थी, तभी हवाई पट्टी के पास युवक सड़िगध अवस्था में घूमता हुआ मिला. पूछताछ के बाद तलाशी लेने पर उसके पास से हथियार और कारतूस मिले. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

## पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी-डॉ यादव

राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे 'जल गंगा संवर्धन अभियान' से प्रदेश में जल संरक्षण को मिली नई गति

**भोपाल, 20 अप्रैल.** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा रहा है. पानी बचाना बेहद जरूरी है. यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के इस अनमोल वरदान से कभी भी कमी महसूस नहीं करें.

राज्य में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच डॉ यादव ने एक वक्तव्य में कहा कि इसके लिए हमें अपने वर्तमान जल



स्रोतों के साथ सूख चुके जल स्रोतों को संरक्षित करना ही होगा. पानी बचाने के लिए प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है. सरकार और समाज के साझा प्रयासों से हो रहे इस

अभियान में बीते एक माह में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. डॉ. यादव ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है. प्रदेश में संचालित 'जल गंगा संवर्धन अभियान' ने अल्प समय में ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. एक माह पहले 19 मार्च से प्रारंभ हुआ यह अभियान जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जनभागीदारी का एक व्यापक जन-आंदोलन बनता जा रहा है. अभियान के प्रभाव से ही प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग सुधारकर अब तीसरे स्थान पर आ गया है. अभियान से पहले

## नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण

नगरीय क्षेत्रों में भी जल संरक्षण को लेकर व्यापक कार्य किए जा रहे हैं. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तालाब, कुएं और पुरानी बावड़ियों के संवर्धन, नालों की सफाई और सीढ़ीकरण तथा रैन वॉटर हॉवर्सिंग सिस्टम की स्थापना जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त तेज गर्मी को देखते हुए नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्याऊ की स्थापना भी की गई है.

मध्यप्रदेश नेशनल रैंकिंग में छठवें स्थान पर था. राज्य सरकार द्वारा आगामी 30 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान में 16 विभागों की 58 गतिविधियां नियत की गई हैं. इसके लिए लगभग 6 हजार 278 करोड़ रुपये का वित्तीय

लक्ष्य तय किया गया है. इस अभियान में कुल 2 लाख 44 हजार से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को चिन्हित कर लगभग 6 हजार 236 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है.



## नौगांव में पारा 44.3 डिग्री पार

लू-तपिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित

**भोपाल, 20 अप्रैल.** मध्य प्रदेश में गर्मी तेजी से खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है और अप्रैल में ही मौसम जून जैसी तपिश का एहसास कर रहा है. कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जबकि नौगांव प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां 44.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

इसके अलावा मंडला (43.9 डिग्री), खजुराहो (43.4 डिग्री), दतिया, उमरिया और सतना जैसे शहरों में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई. बड़े शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है. ग्वालियर में 42.4 डिग्री, भोपाल में 41.8 डिग्री, उज्जैन में 41.4 डिग्री और इंदौर में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. लगातार बढ़ती गर्मी और उमस से लोगों

का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, उमरिया, मंडला और छतरपुर जिलों में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक रहने की संभावना है. साथ ही तेज गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती हैं.

प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों जैसे खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा में हल्के बादल और गरज-चमक देखी गई, लेकिन इससे तापमान में खास राहत नहीं मिली. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के कारण यह स्थिति बनी हुई है. 23 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विश्वोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन

## अधिक गर्मी पड़ने की संभावना

अगले दो दिन प्रदेश में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है. लोगों को पर्याप्त पानी पीने, दोपहर में धूप से बचने, हल्के कपड़े पहनने और सिर ढककर बाहर निकलने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

## ऊर्जाधानी में एक माह तक डेरा डालकर रची बैंक लूट की साजिश

मजदूर बनकर किराए के मकान में रहे आरोपी, रेकी के बाद वारदात को दिया अंजाम

**नवभारत न्यूज**  
सिंगरौली 20 अप्रैल। जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बीते शुक्रवार को हुई सनसनीखेज लूट की वारदात में पुलिस जांच के दौरान लगातार चौकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार आरोपी कमलेश कुमार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी कमलेश कुमार ने बताया



कि लूट की इस वारदात की योजना करीब एक माह पहले ही तैयार कर ली गई थी। आरोपियों ने ऊर्जाधानी क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के पास स्थित बदामी देवी के मकान को किराए पर लिया था। मकान लेते समय उन्होंने खुद को मजदूर बताया, ताकि किसी को उन पर

शक न हो। शुरुआत में तीन आरोपी वहां रह रहे थे, लेकिन वारदात से कुछ दिन पहले दो अन्य साथी भी उनके साथ जुड़ गए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सभी आरोपी रोज सुबह घर से निकल जाते थे और देर शाम तक बैंक और उसके आसपास के

इलाके की रेकी करते थे। इस दौरान उन्होंने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की गतिविधियों और आने-जाने के रास्तों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ऊर्जाधानी में आरोपियों के ठिकाने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रविवार की देर शाम बदामी देवी के मकान पर पहुंचकर ताला तुड़वाया और अंदर की तलाशी ली। इस दौरान मकान मालिकन से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने मकान से कुछ अहम सुराग जुटाने का प्रयास किया है, जिससे फरार

आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इधर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई टीमों बिहार और छत्तीसगढ़ में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार इस जिले में फेंटूश उर्फ ननकी-ननकू निवासी नालंदा-बिहार, राजेश कुमार निवासी गिरिडीह, छोटू और पंकज शर्मा निवासी सिंहभूम झारखंड शामिल हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार आरोपी से लगातार गहन पूछताछ कर रहे हैं। मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

## 28 किलो गांजे के साथ आधा दर्जन पकड़े गये तस्कर

बिछिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़

नवभारत न्यूज

रीवा, 20 अप्रैल, शहर की बिछिया पुलिस ने गांजे की खेप के साथ आधा दर्जन तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. साथ ही 28 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा जप्त किया है जिसकी कीमत 4 लाख से अधिक बताई गई है. गांजा तस्करों में उपयोग किये गये वाहन एवं 8 नग मोबाइल फोन भी जब्त किये गये हैं. आरोपी गांजे की खेप लेकर आ रहे थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया.

प्रशिक्षु आईपीएस. राजीव अग्रवाल थाना प्रभारी बिछिया एवं पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्री करने को मुखबिर की सूचना पर रेड कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत



खड्डा रीठी तलाब भीटा के पास पकड़ा. तलाश के दौरान 28 किलो 930 ग्राम गांजा बरामद किया. आरोपियों के खिलाफ धारा 8,20 (ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लम्बे समय से गांजा के कारोबार में जुड़े हुए हैं.

पकड़े गये आरोपीगण - पुलिस ने जांच के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अतुल पटेल पिता रामायण प्रसाद पटेल उम्र 29 वर्ष

निवासी ग्राम घोपी थाना मनगावा, राधेश्याम कश्यप पिता रामबहादुर कश्यप उम्र 27 वर्ष निवासी जसरीपुर्वा थाना जसपुरा जिला बादा (उ०प्र०), आशीष पटेल पिता रमेश पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी घोपी थाना मनगावा, सुशील कुमार जैसवाल पिता स्व० कमला प्रसाद जैसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी पोड़ी थाना सेमरिया जिला सीधी, अनुज निमाद पिता शिवनारायण निपाद उम्र 22 वर्ष निवासी जसरीपुर्वा थाना जसपुरा जिला बादा (उ०प्र०), राजा जैसवाल पिता मुन्ना जैसवाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी थाना सेमरिया शामिल है.

## शादी का झांसा देकर अगवा करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सीधी 20 अप्रैल, पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बालक-बालिकाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान मुकान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निदेशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में जमोड़ी पुलिस ने शादी और मुन्हेरे भविष्य का झांसा देकर अगवा की गई. नाबालिग किशोरी को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गैह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में थाना जमोड़ी क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने किशोरी को अच्छे जीवन, शादी और सुख-सुविधाओं का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया और उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। आरोपी किशोरी को लेकर राज्य



की सीमाएं लांघते हुए महाराष्ट्र भाग गया था। कल्याण (महाराष्ट्र) में दबिश और रेस्क्यू- विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम को लोकेशन कल्याण (महाराष्ट्र) में मिली। थाना प्रभारी जमोड़ी उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित टीम ने तत्काल महाराष्ट्र के लिए कूच किया। टीम ने स्थानीय पुलिस के समन्वय से कल्याण में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और आरोपी के चंगुल से नाबालिग किशोरी

को सुरक्षित दस्तयाब किया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर सीधी लाया गया, जहां उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस टीम की विशेष भूमिका- 1400 किलोमीटर दूर जाकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, उनि वर्णा यादव, महिला प्रधान आरक्षक कुसुम, आरक्षक नीरज एवं आरक्षक अधिपेक की विशेष एवं सक्रिय भूमिका रही।

## दुधमनिया में कन्या विवाह एवं सामूहिक व्रतबंध संपन्न

कृष्ण प्रणामी मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी ने उठाया सामूहिक प्रतिबंध का खर्च

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 अप्रैल, जिले के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, ससंग नगर दुधमनिया में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कन्या विवाह एवं सामूहिक व्रतबंध संस्कार का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य कन्या विवाह एवं सामूहिक व्रतबंध संस्कार विधिवत संपन्न कराए गए। इस अवसर पर मजरांज जिले के 45 वर्षीय सूरदास बटुक सहित कुल सात ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार पूर्ण विधि-विधान से कराया गया। संपूर्ण



आयोजन में धार्मिक गरिमा एवं पारंपरिक मान्यताओं का विशेष ध्यान रखा गया। मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी द्वारा कार्यक्रम से लगभग एक सप्ताह पूर्व परंपरेत जारी कर सामूहिक व्रतबंध हेतु लोगों से पंजीकरण कराने का आग्रह किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। इस पुनीत आयोजन को विशेषता यह रही कि

व्रतबंध संस्कार का संपूर्ण खर्च मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी ने स्वयं वहन किया। उनके इस सामाजिक एवं धार्मिक योगदान की क्षेत्र में व्यापक सराहना की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित सभी अतिथियों के लिए सुव्यवस्थित एवं भव्य व्यवस्थाएं की गईं। सामूहिक व्रतबंध एवं कन्या विवाह के उपरान्त विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए उत्तम जलपान एवं भोजन की व्यवस्था गुंजारी लाल तिवारी के द्वारा सुनिश्चित की गई थी। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रकट बना, बल्कि समाज सेवा, सहयोग एवं सामूहिकता की भावना को सुदृढ़ करने वाला भी सिद्ध हुआ। स्थानीय स्तर पर इस आयोजन को प्रेरणादायक पहल बताते हुए इसकी सराहना की जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति के लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रही.

## आवासीय परिसर में अवैध शराब दुकान से बड़ी परेशानी

नियमों की खुलेआम अनदेखी, एनसीएल भूमि पर संचालन के आरोप, महिलाओं-बच्चों में भय का माहौल

**नवभारत न्यूज**  
सिंगरौली 20 अप्रैल। जयंत क्षेत्र में आवासीय परिसर के बीच संचालित की जा रही एक शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चंदौली क्रमांक-2 की यह दुकान आबकारी नियमों की दरकिनार कर खोली गई है, जिससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रहवासियों का आरोप है कि दुकान निगमनुसार निर्धारित दूरी के भीतर ही स्थापित की जानी थी, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए इसे जयंत चौकी के समीप खोल दिया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यह दुकान एनसीएल की जमीन पर संचालित की जा रही है, जो पूरी तरह अवैध



है। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से इस दुकान का संचालन संभव हो पाया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और आबकारी विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामले को गंभीर मानते हुए एनसीएल प्रबंधन ने भी

उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के उनकी भूमि पर शराब दुकान का संचालन न केवल अवैध है, बल्कि इससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कार्रवाई का अभाव लोगों की

नाराजगी को और बढ़ा रहा है। शराब दुकान खुलने के बाद से क्षेत्र का माहौल पूरी तरह बदल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शमन होते ही असाामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है, जिससे

आप दिन विवाद और शोर-शराबे की स्थिति बनती है। महिलाएं और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने में असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

## विभाग के मिलीभगत से नियमों की अनदेखी

आबकारी विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग की मिलीभगत के बिना इस तरह की अनियमितता संभव नहीं है। लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी और निरीक्षण में लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर दुकान को बंद कराने की मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता जताई है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी तत्परता दिखाता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। फिलहाल इस अवैध शराब दुकान ने क्षेत्र में भय और असुरक्षा का वातावरण बना दिया है।

## कार्यालय नगर परिषद हनुमाना, जिला - मऊगंज (म०प्र०)

Email Id - cmohanumana@mpurban.gov.in

क्रमांक / 1846 / निविदा सूचना / मऊगंज / 2026 हनुमाना, दिनांक - 18.3.2026

द्वितीय ऑनलाइन निविदा आमंत्रण - सूचना

नगर परिषद हनुमाना, जिला - मऊगंज द्वारा मऊगंज लोक निर्माण विभाग में नदी किनारे स्थित जमीन पर निजीकरण के अन्तर्गत एनसीएल टेकनॉलॉजी के माध्यम से तालिका में वर्णित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, एमओ आओ दिनांक - 02 अगस्त 2021 (संशोधित) के आधार पर निविदा प्रवेश "अ" में दर्द आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रवेश डाउनलोड करने एवं निविदा से सम्बंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी वेबसाइट http://mpetender.gov.in से एवं कार्यालय नगर परिषद हनुमाना से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधित केवल वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

| दस्तावेज संख्या   | सामग्री का नाम                                           | अनुमानित लागत | अमानत राशि का एच.डी.आर. | समय-सीमा | निविदा प्रपत्र की कीमत |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|------------------------|
| 1                 | 2                                                        | 3             | 4                       | 5        | 6                      |
| 2026_UAD_496041_1 | मुख्यमंत्री महुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत निजीकरण कार्य। | 4,23,00,000   | 42300=00                | 60 दिवस  | 20000=00               |

उक्त निर्माण कार्य के निविदा प्रपत्र दिनांक - 8.4.2026 को प्रातः 10.30 से दिनांक - 21.4.2026 को सायं 5.30 तक वेबसाइट पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।

(अरुण कुमार खत्री) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद हनुमाना, जिला - मऊगंज (म०प्र०)

## न्यायालय, आसुर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 4/25 डब्लू सी वि०

मधु कुशवाहा

बनारस

रवि श्रीवास्तव वगैरह

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपकों। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनावेदन रवि श्रीवास्तव के बुलेटो वाहन में वालन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अनावेदन द्वारा क्षतिपूर्ति रु. 6,32,580/- मुक्त के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है। उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को निमत की गई है।

अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मुक्त के आश्रित हैं तो वह सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को टीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें। मुक्त के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विद्वान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत का चित्र सत्यापित करवाकर प्रहसन हेतु प्रस्तुत करें। यदि हो तो मुक्त के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आएं। साथ ही मुक्त के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आएं।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.04.26 को जारी किया गया।

अतिरिक्त न्यायाधीश आसुर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अधिनियम सतना म०प्र०

अदालत की मुद्रा